

दिनांक

आदेश

अभिलेख

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक डिकुल लागुरी, पिता- स्व० भागीरथी लागुरी, ग्राम- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- जयपुर, थाना नं०-429, खाता नं०-254, प्लॉट नं०- 3055,3069,3191, क्रमशः रकबा- 0 19. 0.30. 0 12 कुल रकबा- 0.61 एकड, भूमि क्रेता श्रीमती लक्ष्मी लागुरी, पति- विश्वनाथ लागुरी, ग्राम- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया, जिला प० सिंहभूम के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से हालसर्वे खातियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-161, दिनांक 20.07.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्रीमती लक्ष्मी लागुरी, पति- विश्वनाथ लागुरी, ग्राम- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों हाटगम्हरिया थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 5.00 एकड भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक डिकुल लागुरी, पिता- स्व० भागीरथी लागुरी, ग्राम- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता श्रीमती लक्ष्मी लागुरी, पति- विश्वनाथ लागुरी, ग्राम- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया, जिला प० सिंहभूम के पास 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) रूपया मौजा- जयपुर, थाना नं०-429, खाता नं०-254, प्लॉट नं०- 3055,3069,3191, क्रमशः रकबा- 0. 19. 0.30. 0. 12 कुल रकबा- 0.61 एकड, भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापत्रित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा